



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245686
CG-DL-E-04052023-245686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1980]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2068(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41/369 से कि.मी. 108/200 (एँसूडीओ बारामती) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एँसूडीओ बारामती को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41/369 से कि.मी. 108.200 (एँस्डीओ बारामती) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: इंदापूर					
गांव का नाम: निमगाँव केतकी					
1	1598	निजी	एग्रीकल्चर	0.2906000(हेक्टेयर)	0.2906000
2	1599	निजी	एग्रीकल्चर	0.0983000(हेक्टेयर)	0.0983000
3	1605	निजी	एग्रीकल्चर	0.1698000(हेक्टेयर)	0.1698000
4	1607	निजी	एग्रीकल्चर	0.0061000(हेक्टेयर)	0.0061000
5	1609	निजी	एग्रीकल्चर	0.0398000(हेक्टेयर)	0.0398000
6	1618	निजी	एग्रीकल्चर	0.2134000(हेक्टेयर)	0.2134000
7	1619	निजी	एग्रीकल्चर	0.1144000(हेक्टेयर)	0.1144000
8	1631	निजी	एग्रीकल्चर	0.2452000(हेक्टेयर)	0.2452000
9	1632	निजी	एग्रीकल्चर	0.1653000(हेक्टेयर)	0.1653000
10	1633	निजी	एग्रीकल्चर	0.0332000(हेक्टेयर)	0.0332000
11	1647	निजी	एग्रीकल्चर	0.0094000(हेक्टेयर)	0.0094000
12	1648	निजी	एग्रीकल्चर	0.0312000(हेक्टेयर)	0.0312000
13	1649	निजी	एग्रीकल्चर	0.1388000(हेक्टेयर)	0.1388000
14	1650	निजी	एग्रीकल्चर	0.1886000(हेक्टेयर)	0.1886000
15	1651	निजी	एग्रीकल्चर	0.0994000(हेक्टेयर)	0.0994000
16	1652	निजी	एग्रीकल्चर	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
17	1656	निजी	एग्रीकल्चर	0.1517000(हेक्टेयर)	0.1517000
18	1658	निजी	एग्रीकल्चर	0.0708000(हेक्टेयर)	0.0708000
19	1659	निजी	एग्रीकल्चर	0.0029000(हेक्टेयर)	0.0029000
20	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.0061000(हेक्टेयर)	0.0061000
21	1752	निजी	एग्रीकल्चर	0.1168000(हेक्टेयर)	0.1168000
22	1753	निजी	एग्रीकल्चर	0.2797000(हेक्टेयर)	0.2797000
23	1754	निजी	एग्रीकल्चर	0.0796000(हेक्टेयर)	0.0796000

24	1755	निजी	एग्रीकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
25	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.0234000(हेक्टेयर)	0.0234000
26	19	निजी	एग्रीकल्चर	0.0182000(हेक्टेयर)	0.0182000
27	20	निजी	एग्रीकल्चर	0.1061000(हेक्टेयर)	0.1061000
28	2260	निजी	एग्रीकल्चर	0.0311000(हेक्टेयर)	0.0311000
29	2261	निजी	एग्रीकल्चर	0.1962000(हेक्टेयर)	0.1962000
30	2268	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
31	2269	निजी	एग्रीकल्चर	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
32	2270	निजी	एग्रीकल्चर	0.6561000(हेक्टेयर)	0.6561000
33	23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
34	26	निजी	एग्रीकल्चर	0.0165000(हेक्टेयर)	0.0165000
35	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
36	29	निजी	एग्रीकल्चर	0.0283000(हेक्टेयर)	0.0283000
37	395	निजी	एग्रीकल्चर	0.0018000(हेक्टेयर)	0.0018000
38	396	निजी	एग्रीकल्चर	0.0435000(हेक्टेयर)	0.0435000
39	398	निजी	एग्रीकल्चर	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000
40	399	निजी	एग्रीकल्चर	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
41	400	निजी	एग्रीकल्चर	0.0791000(हेक्टेयर)	0.0791000
42	402	निजी	एग्रीकल्चर	0.0458000(हेक्टेयर)	0.0458000
43	403	निजी	एग्रीकल्चर	0.0558000(हेक्टेयर)	0.0558000
44	409	निजी	एग्रीकल्चर	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
45	411	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0288000(हेक्टेयर)	0.0288000
46	415	निजी	एग्रीकल्चर	0.0139000(हेक्टेयर)	0.0139000
कुल				4.5408	4.5408

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2068(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km 41/369 to Km 108.200 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Baramati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from Km 41/369 to Km 108.200 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Indapur					
Village: Nimgaon Ketaki					
1	1598	Private	Agriculture	0.2906000(Hectare)	0.2906000
2	1599	Private	Agriculture	0.0983000(Hectare)	0.0983000
3	1605	Private	Agriculture	0.1698000(Hectare)	0.1698000
4	1607	Private	Agriculture	0.0061000(Hectare)	0.0061000
5	1609	Private	Agriculture	0.0398000(Hectare)	0.0398000
6	1618	Private	Agriculture	0.2134000(Hectare)	0.2134000
7	1619	Private	Agriculture	0.1144000(Hectare)	0.1144000
8	1631	Private	Agriculture	0.2452000(Hectare)	0.2452000
9	1632	Private	Agriculture	0.1653000(Hectare)	0.1653000
10	1633	Private	Agriculture	0.0332000(Hectare)	0.0332000
11	1647	Private	Agriculture	0.0094000(Hectare)	0.0094000
12	1648	Private	Agriculture	0.0312000(Hectare)	0.0312000
13	1649	Private	Agriculture	0.1388000(Hectare)	0.1388000
14	1650	Private	Agriculture	0.1886000(Hectare)	0.1886000
15	1651	Private	Agriculture	0.0994000(Hectare)	0.0994000
16	1652	Private	Agriculture	0.0330000(Hectare)	0.0330000
17	1656	Private	Agriculture	0.1517000(Hectare)	0.1517000
18	1658	Private	Agriculture	0.0708000(Hectare)	0.0708000
19	1659	Private	Agriculture	0.0029000(Hectare)	0.0029000
20	17	Private	Agriculture	0.0061000(Hectare)	0.0061000
21	1752	Private	Agriculture	0.1168000(Hectare)	0.1168000
22	1753	Private	Agriculture	0.2797000(Hectare)	0.2797000

23	1754	Private	Agriculture	0.0796000(Hectare)	0.0796000
24	1755	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
25	18	Private	Agriculture	0.0234000(Hectare)	0.0234000
26	19	Private	Agriculture	0.0182000(Hectare)	0.0182000
27	20	Private	Agriculture	0.1061000(Hectare)	0.1061000
28	2260	Private	Agriculture	0.0311000(Hectare)	0.0311000
29	2261	Private	Agriculture	0.1962000(Hectare)	0.1962000
30	2268	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
31	2269	Private	Agriculture	0.4500000(Hectare)	0.4500000
32	2270	Private	Agriculture	0.6561000(Hectare)	0.6561000
33	23	Private	Agriculture	0.0090000(Hectare)	0.0090000
34	26	Private	Agriculture	0.0165000(Hectare)	0.0165000
35	27	Private	Agriculture	0.0131000(Hectare)	0.0131000
36	29	Private	Agriculture	0.0283000(Hectare)	0.0283000
37	395	Private	Agriculture	0.0018000(Hectare)	0.0018000
38	396	Private	Agriculture	0.0435000(Hectare)	0.0435000
39	398	Private	Agriculture	0.0116000(Hectare)	0.0116000
40	399	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
41	400	Private	Agriculture	0.0791000(Hectare)	0.0791000
42	402	Private	Agriculture	0.0458000(Hectare)	0.0458000
43	403	Private	Agriculture	0.0558000(Hectare)	0.0558000
44	409	Private	Agriculture	0.0175000(Hectare)	0.0175000
45	411	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0288000(Hectare)	0.0288000
46	415	Private	Agriculture	0.0139000(Hectare)	0.0139000
Total				4.5408	4.5408

[F. No. NHA/PIU/SLP/LA/17/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.